राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

क्र. सं.	अपील संख्या	अपीलार्थीगण का नाम	प्रत्यर्थी विभाग
1.	2037 / 2024	डॉ. निर्मल कुमार	राजस्थान राज्य जरिये अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य।
2.	2043 / 2024	डॉ. शिवचरण जोलिया	

आदेश की दिनांक : 19.06.2024

उपस्थित :–

अपीलार्थीगण की ओर से : श्री अशोक बसंल एवं श्री उम्मेद सिंह तंवर, अधिवक्तागण

समक्ष :– अनन्त भण्डारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की अपीलार्थी की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. उपरोक्त दोनों प्रकरणों में अपीलार्थीगण के अधिवक्तागण का तर्क है कि अपीलार्थीगण वरिष्ठ आचार्य मैडिसीन के पद पर मेडिकल कॉलेज कोटा में कार्यरत है तथा आलोच्य आदेश दिनांक 22.02.2024 के द्वारा अपीलार्थीगण का स्थानान्तरण मेडिकल कॉलेज, उदयपुर में स्थानान्तरण किया गया है, जहां पर वरिष्ठ आचार्य मेडिसीन का पद स्वीकृत नहीं है। बिना स्वीकृत पद के अपलार्थीगण का स्थानान्तरण किया गया है, जो बिना मस्तिष्क का प्रयोग किये पारित आदेश है। अपीलार्थीगण का यह भी तर्क रहा है कि प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, कोटा द्वारा अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को पत्र दिनांक 10.06.2024 प्रस्तुत करते हुए यह निवेदन किया है कि डॉ शिवचरण जोलिया एवं डॉ. निर्मल कुमार का पदस्थापन निरस्त किया जाए। प्रधानाचार्य द्वारा उक्त दोनों वरिष्ठ आचार्यों के सम्बन्ध में पदस्थापन निरस्त किये जाने की प्रार्थना इस आधार पर की गयी कि यदि इन दोनों आचार्यों का पदस्थापन आदेश निरस्त कर दिया जाता है तो दो सह.आचार्य व दो यूनिट यथावत संचालित होगी।
3. हमने विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी, पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का परिशीलन कर मनन किया गया। प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट होता है कि प्रधानाचार्य नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, कोटा द्वारा

अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को पत्र प्रेषित कर अपीलार्थीगण का पदस्थापन कर निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई है।

4. उपरोक्त परिस्थतियों को देखते हुए एवं प्रधानाचार्य द्वारा दोनों आचार्यों के पदस्थापन को निरस्त किये जाने के प्रार्थना पत्र को दृष्टिगत रखते हुए हस्तगत अपीलों में न्यायहित में अपीलार्थीगण को निर्देश दिये जाते है कि वे अपने सक्षम अधिकारी के समक्ष एक अभ्यावेदन आदेश की दिनांक से 2 सप्ताह में प्रस्तुत करें तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिया जाता है कि अपीलार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को प्राप्त होने की दिनांक से 2 सप्ताह में अभ्यावेदन पर आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) पारित कर अपीलार्थीगण को सूचित करें। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उक्त अभ्यावेदन का निस्तारण नहीं किये जाने तक अपीलार्थीगण के संबंध में पारित आलोच्य आदेश दिनांक 22.02.2024 (अनुलग्नक–1) एवं कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 08.06.2024 (अनुलग्नक–2) का क्रियान्वयन (Operation) अपीलार्थीगण की सीमा तक के लिए स्थगित रहेगा।
5. यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देशों की पालना अपीलार्थीगण द्वारा नहीं किये जाने पर यह स्थगन आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी हो जावेगा।
6. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

7. मूल आदेश अपील संख्या 2037/2024 में रखा जावे एवं इसकी छाया प्रति अपील संख्या 2043/2024 में रखी जावें।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)